स्थापना : 1959 पंजीयन क्र.: 59

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज,रायपुर (छ.ग.)

चौ. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन. द्वितीय तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) 492001

Chhattisgarh Chamber of Commerce & Industries, Raipur (C.G.)

Ch. Devilal Vyapar Udyog Bhawan, 2nd Floor, Bombay Market, Raipur (C.G.) INDIA

CCCI

Ph.: 0771-2539275, 4034572 , Fax : 0771-2539275

Website : www.cgchamber.org Email : info.cgchamber@gmail.com

CCCI/RG/MAY/007/2020 DATE: 7MAY2020

प्रति,
*जिला दंडाधिकारी
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जिला रायपुर

विषय: शहर सीमा में छोटे वाहनों को परिवहन,लोडिंग,अनलोडिंग की अनुमति हेतु

सन्दर्भ: छत्तीसगढ़ शासन-परिवहन विभाग,आदेश क्रमांक 228/स. परिवहन/2020

महोदय,

हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पुर्णतः वाकिफ हैं और उसका पालन करना और करवाने हेतु आपके साथ हैं हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु लॉक डाउन अथवा लॉक डाउन की बाद के अगले कुछ/कई माह तक बाज़ारों में भीड़ न हो इत्यादि नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है और हम सब शासन -प्रशासन के साथ हैं,

एक अनुरोध है: यह सब कुछ आसान हो सकता है यदि नियमों को घोषणा से पूर्व उसका व्यावहारिक पक्ष जानने के लिए हमसे भी संवाद कर लिया जाये

संदर्भित एवं विषयान्तर्गत अनुरोध है कि

कंडिका 1 अनुसार यह आदेश अन्य प्रदेशों से आने वाले परिवहन वाहनों के लिए है

कंडिका 2 के अनुसार इस आदेश में केवल अन्य प्रदेश से आने वाले वाहनों को शहर में आने की और लोडिंग/अन लोडिंग की अनुमति रात 9.30 से सुबह 6 तक दी गई है

कंडिका 3 के अनुसार आर्थिक गतिविधियों अर्थात दुकानों को खोलने का समय सायंकाल 4 बजे तक हो एवं

परिवहन हेतु अलग समय हो

महोदय, चूँकि शहर में थोक दुकानों को अपरान्ह 4 बजे तक खोलने की अनुमति है तब स्वाभाविक रूप से उन्हें अपरान्ह 4 बजे के पूर्व माल छोटे गाड़ियों में माल लोड करवाना है

उपरोक्त आदेश में दुकानों और परिवहन का समय समय अलग अलग रखने का आदेश है तदनुसार ट्रांसपोर्टर्स को निम्नानुसार अनुमति/व्यवस्था दी जाये

1. **सायकल/स्कूटर पर छोटे छोटे सामान लेकर आने वालों की बुकिंग हेतु दोपहर 2बजे से शाम 6 बजे तक की अनुमति हो**
2. **छोटे वाहनों जैसे छोटा हाथी इत्यादि से परिवहन-लोडिंग-अनलोडिंग हेतु दोपहर 4से शाम 6बजे तक अनुमति दी जाये**
3. **चूँकि लोकल ट्रांसपोर्टर्स रायपुर से अन्य शहरों में माल भेजने के लिए मध्यम साइज़ के वाहनों जैसे 608इत्यादि (ट्रकें छोड़कर) का उपयोग करते हैं अतः ऐसे वाहनों को शहर में आने-जाने एवं लोड-अनलोड करने हेतु शाम7 से सुबह6 बजे तक समय दिया जाये**

उपरोक्त व्यवस्था से दिन में 4बजे तक केवल वही छोटे परिवहन वाहन होंगे जो होम डिलीवरी में लगे होंगे

कृपया उपरोक्त पर विचार कर उचित निर्णय करते हुए आज ही संशोधित आदेश जारी करने का कष्ट करें

धन्यवाद

रमेश गाँधी जितेन्द्र बरलोटा
चेयरमैन प्रदेश अध्यक्ष